न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 77/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/81)

गुलाम कादर पुत्र स्व. श्री असमील जाति मुसलमान निवासी नंवा, तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. नूरनबी पुत्र स्व. श्री असमील जाति मुसलमान निवासी नंवा, तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री महेश स्वामी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सोमदत्त पुरोहित – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांकः 11.03.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील सं. 17/2021, निर्णय दिनांक 09.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार हनुमानगढ के आदेश दिनांक 25.03.2021 के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर उक्त आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.05.2024 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 09.05.2024 व 25.03.2021 को आपस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने चक 2 आरआरडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खसरा नं. 39/40 सम्वत 2068/2071 की 0.253 हैक्टेयर भूमि जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता असमील के नाम थी को एक फर्जी व कूटरचीत वसीयत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 18.11.2013 के आधार पर स्वय के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पेश किया। उक्त फर्जी व कूटरचीत वसीयत के आधार पर अपीलान्ट व शेष वारिसो को कोई नोटिस दिये बिना एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष मे उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 25.03.2021 को पारित किया गया है जो काबिले खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2021 कतई गलत है, विधि विरूद्व, अनुचित, मनमाना, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरित न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है। किसी भी अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने से पूर्व उस व्यक्ति के समस्त वारिसान को व्यक्गित सूचना देनी आज्ञापक है। मुस्लिम विधि में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त सम्पत्ति की वसीयत कानूनन नही कर सकता। कोई मुस्लिम अपनी सम्पत्ति में से अधिकतम 1/3 सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। कानूनन 1/3 हिस्सा से अधिक यदि कोई व्यक्ति वसीयत करता है तो उसके अन्य समस्त वारिसान की सहमति आज्ञापक है। कथित वसीयत दिनांक 18.11.2013 प्रारम्भ से अवैध व शून्य थी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 अत्यधिक चालाक व चतुर किस्म का व्यक्ति है व उसने एवं उसके भाई रमजान ने स्व. श्री असमील की वृद्वावस्था व बीमारी का फायदा उठाकर स्व. असमील के कई खाली स्टाम्प व कागजात पर अंगुठा लगवाकर फर्जी व कूटरचीत दस्तावेज तैयार किये है। प्रश्नगत 1 बीधा भूमि स्व. असमील ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से अपीलान्ट को मौखिक हिब्बा रोबरू गवाहान हबीबुल्ला पुत्र अलदादिता हाजी व अपीलान्ट के भाई गुलाबनबी व अपीलान्ट की बहन गुलजारा उर्फ हसीना बेगम के कर दी थी तथा अपीलान्ट को प्रश्नगत 1 बीधा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से अपीलान्ट को प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है। अपीलान्ट के भाई रमजान ने पूर्व में एक फर्जी व कूटरचीत इकरारनामा स्व. असमील के खाली स्टाम्प व कागजो पर करवाये गये अगुठो पर तैयार कर दीवानी वाद संख्या 78/2012 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2 हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका अपीलान्ट द्वारा विरोध किया तथा वादपत्र दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

14.09.2020 को खारिज फरमाया गया। यदि स्व. श्री असमील द्वारा कोई वसीयत की जाती है तो उक्त वसीयत में असमील के परिवार के व्यक्ति जरूर उपस्थित होते परन्तु कथित वसीयत दिनांक 18.11.2013 में गवाहान गवाह रेस्पोडेन्ट के मिलने वाले व्यक्ति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो मौका की जांच की व ना ही कब्जा काश्त की कोई रिपोर्ट मंगवाई। प्रश्नगत भूमि अर्सा दराज से अपीलान्ट के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा अपीलान्ट ने उक्त भूमि स्वय के कब्जा में होने के सम्बन्ध में प्रश्नगत कृषि भूमि की पानी की पर्चिया उक्त दिवानी वाद संख्या 78/2012 में प्रस्तुत की थी जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भी ज्ञान है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कभी भी कब्जा नही रहा व ना ही आज उसका कब्जा है। प्रश्नगत भूमि आज भी अपीलान्ट के आधिपत्य व धारण में है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत 1 बीघा भूमि के सम्बन्ध मे सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष राजस्व वाद सं. 16/2021 अनवानी गुलाम कादिर बनाम यासीन आदि प्रस्तुत किया हुआ है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत के निर्णय खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में Sulaxani & Other vs Sattar Ali & Others Sa N0. 474/2007 judgement date 02.05.2022 HC Of Chhattisgarh , CCC 2017 (4) MED 811, Mohammadan LAW Rule 172, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नही है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है क्योकि अपीलान्ट ने जिस वसीयत को फर्जी व बनावटी करने को कथन किया है, उसे किसी दीवानी न्यायालय में चुनौति नही दी है। वसीयत को अवैध व शून्य घोषित करवाने हेतु दीवानी न्यायालय सक्षम है और अपीलान्ट ने दीवानी न्यायालय में इस बारे में कोई वाद प्रस्तुत नही किया है। अपीलन्ट ने इसी विषय वस्तु को लेकर राजस्व वाद सं. 162/2021 अनुवानी गुलाम बनाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

यासीन जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 2 भी पक्षकार है, अपने अधिकारो व उक्त भूमि का अपने आप को खातेदार घाषित करने तथा अपने हक में मौखिक हिब्बा असमिल द्वारा करने का कथन करते हुए व वसीयत को कूटरचित व फर्जी के आधार पर इंतकाल चढाने का कथन किया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने दो दो कार्यवाही कर रखी है और दो नावो पर सवार होकर कार्यवाही कर रहा है। जो कानूनन करने की इजाजत कानून में नही है। नामान्तरकरण एक फिस्कल एन्ट्री है। इसके आधार पर किसी के अधिकारो का सृजन नही होता, फलस्वरूप भी अपील चलने योग्य नही है। अपीलान्ट ने कथन किया कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है जबकि उक्त भूमि के कब्जे के बाबत रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने पानी की पर्ची अपने नाम होने व पानी की बारी बंधी का रिकार्ड प्रस्तुत किया है, राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 2 का नाम होना अपने आप मे उसके कब्जे को साबित करने का पुख्ता सबूत है। अपीलान्ट को उसके पिता ने पूर्व में दिनांक 26.11.2010 को लिखित में एक बीधा भूमि का हिबा किया था और रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये वसीयत उसे हिस्सा दिया था। असमिल ने कभी भी मौखिक रूप से सम्पत्ति किसी को नही दी। ऐसे में अपीलान्ट का यह कथन कि उसे मौखिक हिबा कर दिया था अपने आप मे सर्वथा असत्य हो जाता है। लिखित में वसीयत होने के कथन को अपीलान्ट स्वीकार नही कर रहा है और अपने हक में मौखिक हिब्बे को जिसकी कोई साक्ष्य नही होते हुवे भी उसे साबित करार दे रहा है, जो उसके अपने कथनो के परस्पर विरोधी है। किसी भी दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है बल्कि दीवानी न्यायालय को है और अपीलान्ट ने वसीयत को दीवानी न्यायालय में चुनौति नही दी है। अपीलान्ट का न तो कब्जा है और न ही उसका कोई स्वत्व है तथा अपने अधिकारो के लिये वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में हस्तगत अपील चलने योग्य नही है। लिहाजा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जावें। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2011(5) ADJ 838, Air 1985 Sc 472, 2022 156-Rd 504, 2003(2) Awc 1669, 2004 (97) Rd 642 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 17 / 2021, के निर्णय दिनांक 09.05.2024 व तहसीलदार हनुमानगढ के आदेश दिनांक 25.03.2021 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2024 व 25.03.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। इस प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत दिनांक 18.11.2013 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, असमील के वारिसान है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि तहसीलदार हनुमानगढ ने अपने निर्णय 25.03.2021 मे अंकित किया कि "पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई । मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नवा चक 2 आर आर डब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 36 / 38 में कुल तादादी 22.264 हैक्टयर में से 0.253 हैक्टर असमील पुत्र लूकमान जाति मुसलमान निवासी नवा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पैतृक है।" पैतृक भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारो को सुना जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को बिना सुने आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2024 एवं 25.03.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर